रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 12] नई दिल्ली, मार्च 13—मार्च 19, 2011, शनिवार/फाल्गुन 22—फाल्गुन 28, 1932
No. 12] NEW DELHI, MARCH 13—MARCH 19, 2011, SATURDAY/PHALGUNA 22—PHALGUNA 28, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2011

सा.का.नि. 93.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में निदेशक जनगणना कार्य का कार्यालय अवर श्रेणी लिपिक/टंकक भर्ती नियमावली, 2010 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में निदेशक जनगणना कार्य का कार्यालय अवर श्रेणी लिपिक/टंकक भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2010 कहा जाएगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के निदेशक जनगणना कार्य का कार्यालय अवर श्रेणी लिपिक/टंकक भर्ती नियमावली, 2010 में,—

(क) नियम 1 के अन्तर्गत, उप नियम (1),—

(i) शब्द "कार्यालयों" के स्थान पर शब्द "कार्यालय" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) शब्द "कार्यालय" के स्थान पर शब्द "कार्यालयों" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची में,—

(i) कालम (3) में शब्द "अननुसचिवीय" के स्थान पर शब्द "अनुसचिवीय" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) कालम (8) में मौजूदा प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :

"(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा अथवा समतुल्य योग्यता ।

(ii) केवल कम्प्यूटर पर कौशल परीक्षण मानक :

(क) अंग्रेजी टंकण @ 35 शब्द प्रति मिनट;

अथवा

(ख) हिन्दी टंकण @ 30 शब्द प्रति मिनट;

(निर्धारित समय 10 मिनट)"

(35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट का अर्थ है प्रत्येक शब्द के लिए 5 की-डिप्रेशन्स के औसत से 10500 की-डिप्रेशन्स प्रति घंटा/9000 की-डिप्रेशन्स प्रति घंटा)

(ग) कालम (12) में शीर्षक "विभागीय अर्हक परीक्षा" के अन्तर्गत, टिप्पणी में शब्द "dubsequent" के स्थान पर शब्द "subsequent" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा. सं. ए-16011/5/2000-प्रशा.-II/V]

सुरेन्द्र कुमार, उप निदेशक, जनगणना कार्य

टिप्पणी : मूल नियम सा.का.नि. सं. 1 दिनांक 1 जनवरी, 2011 के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 11th March, 2011

G.S.R. 93.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Offices of the Registrar General, India and the Office of the Director of Census Operations in States and Union Territories, Lower Division Clerk/Typist Recruitment Rules, 2010, namely :—

1. (1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Director of Census Operations in States and the Union Territories, Lower Division Clerk/Typist Recruitment (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Offices of the Registrar General, India and the Office of the Director of Census Operations in States and the Union Territories, Lower Division Clerk/Typist Recruitment Rules, 2010,—

(a) in rule 1, in sub rule (1),—

(i) for the word "offices", the word "office" shall be substituted;

(ii) for the word "office", the word "offices" shall be substituted;

(b) in the Schedule,—

(i) in column (3) for the words "Non Ministerial", the word "Ministerial" shall be substituted;

(ii) in column (8) for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"(i) 12th Class or equivalent qualification from a recognized Board or University.

(ii) Skill test norms only on computers :

(a) English Typing @ 35 words per minute;

Or

(b) Hindi Typing @ 30 words per minute.

(Time allowed 10 mts.)"

(35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 key depressions per hour/9000 key depressions per hour on an average of 5 key depressions for each word)";

(c) in column (12), under the heading "Departmental qualifying examination", in the Note, for the word "dubsequent", the word "subsequent" shall be substituted.

[F. No. A-16011/5/2000-Ad. II/V]

SURENDER KUMAR, Dy. Director of Census Operations

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* G.S.R. No. 1, dated the 1st January, 2011.